प्रेस नोट

पूर्णियाँ 2 मई। पूर्णियाँ जिला के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि निर्वाचक सूची को त्रुटिरहित एवं प्रमाणिक बनाये जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (NERPAP) का शुभारंभ किया गया है, जिसे बिहार राज्य में भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

उक्त कार्यक्रम के तहत सभी निर्वाचकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल पता संग्रहित कर प्रमाणीकरण के पश्चात ईपिक नम्बर के साथ सम्बद्ध किया जाना है।

निर्वाचकों द्वारा अपने ईपिक नम्बर के विरूद्ध निम्नांकित माध्यमों से आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल प्रविष्ट कराये जाने का प्रावधान किया गया है :–

1 भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट (http://eci.nic.in) अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाईड (http;//ceobihar.nic.in) पर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एन.वी.एस.पी.) के माध्यम से

2 एस.एम.एस. के माध्यम से ECILINK <space> <EPIC_Number> <space> <Aadhar_Number> and send it to 51969

3 राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर 1800–345–1950 के माध्यम से

4 आधार सं0 एवं ईपिक संख्या से संबंधित दस्तावेज तथा आवेदन बी0एल0ओ0 / ई0आर0ओ0 / ए0 ई0आर0ओ0 को समर्पित कर

बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर सर्वेक्षण करा कर आधार नम्बर, मोबाईल नं0 एवं ई–मेल के संग्रहण का कार्य किया जा रहा है।

आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल के संग्रहण का कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है।

जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी
पूर्णियाँ।

E:folder,1112@2014/Puja& Letter 196